



हिलव्यू समाचार

सच्चाई की मंजिल संघर्षों व कठिन रास्तों से गुजरकर भी सफलता की ओर ले जाती है। -शालिनी श्रीवास्तव

website: www.hsnews.in

साप्ताहिक समाचार पत्र



जयपुर, रविवार, 07 मई 2023

खबर-बेखबर

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बड़ा गहलोट सरकार का सियासी सिस्टम?



गिरिधारी मंदिर परिसर पर कब्जा करने वाले अतिक्रमी किरायेदार रामकिशोर मीणा के अवैध कब्जे पर निगम व पुलिस के संरक्षण में अवैध छत डाली दी गई। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर भ्रष्ट तंत्र जीत गया।



पंडित राजेन्द्र शर्मा गिरिधारी मंदिर के पुजारी परिवार में से एक सदस्य

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। गिरिधारी मंदिर, चौदी की टकसाल, राजामल तालाब का मामला गर्माता जा रहा है। रामकिशोर मीणा द्वारा किरायेदार बनकर अवैध कब्जाये हुए गिरिधारी मंदिर परिसर पर चुनावी साल को मद्देनजर रखते हुए शासन और प्रशासन के सहयोग से अवैध छत आनन-फानन में डाल दी गयी है और रामकिशोर मीणा के पुत्र रामप्रसाद मीणा की आत्महत्या से आंदोलित हुए समाज के एक बड़े तबके को संतुष्ट कर दिया गया।

रामप्रसाद मीणा की आत्महत्या का मुख्य कारण


गिरिधारी मंदिर परिसर में किराए की आड़ में कब्जाए भाग का नगर निगम हवामहल से अवैध पट्टा मिलीभगत कर रामकिशोर मीणा को दिया गया इससे पुत्र रामप्रसाद व पूरे मीणा परिवार का भ्रम और हैसले दोनों बढ़े और इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए रामकिशोर मीणा के झूठे शपथ पत्र व नज्बी की कार्यवाही प्रभाव में आने पर और सही फैसला होने की आशंका व सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का अपराध सारे मीणा परिवार के गले की हड्डी बन गया। मंदिर पुजारियों की न्यायिक लड़ाई के सकारात्मक परिणामों के कारण अवैध कब्जाया हुआ गिरिधारी मंदिर परिसर मीणा परिवार को हाथ से जाता दिखाई देने लगा और इस तरह सारा मामला इस तरह गरमाया कि मृतक रामप्रसाद मीणा की मौत (आत्महत्या)का कारण बना।

गहलोट-शासन और प्रशासन की एक तरफ़ा कार्यवाही

रामप्रसाद मीणा की आत्महत्या से माहौल संवेदनशील होकर लगातार एक तरफ़ा होता चला गया और दलित रामप्रसाद मीणा की आत्महत्या का दबाव गहलोट सरकार पर चुनावी साल में इतना गहरा बना जिसे गहलोट सरकार बिल्कुल बदोस्त नहीं कर सकती थी चाहे उस आत्महत्या के मूल तथ्य कुछ भी रहे हों, वास्तविकता कुछ भी रही हो। भाजपा नेता राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में गहलोट सरकार पर दबाव बना और कई बड़े फ़ैसले मीणा परिवार के पक्ष में लिए गए जिनमें से कुछ फ़ैसले गिरिधारी मंदिर के पुजारियों के लिए पीड़ा का विषय तो बने ही एक तरफ़ा कार्यवाही का प्रतीक भी बने। पुजारी परिवार के दो सदस्यों को आनन-फ़ानन में गिरफ्तार कर मामले पर उठे छोट्टे डाले गए जबकि जिस अपराध के लिए पुजारी परिवार के देवेन्द्र शर्मा और ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया वह वजह ही नहीं बनती गिरफ्तार करने की। इसी बीच गहलोट सरकार व प्रशासन द्वारा मामले की गहराई में नहीं जाकर कब्जे की जमीन को रामकिशोर मीणा के सुपुर्द कर छत डलवाना बड़ा ही हास्यास्पद निर्णय रहा गहलोट सरकार व प्रशासन की यह एक तरफ़ा कार्यवाही कई बड़े सवाल खड़े करती है।

सबसे बड़ा प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अवमानना करते हुए, उसे दरकिनार करते हुए किस तरह और क्यों अवैध कब्जे पर, अतिक्रमण की गई ज़मीन पर छत डालकर अतिक्रमी रामकिशोर मीणा को सरकार संतुष्ट कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा हो गया सियासी सिस्टम?




पुजारी परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के क्रम में राजस्थान सरकार, प्रशासन, निगम व रामकिशोर मीणा को दिए गए लीगल नोटिस जिसके बावजूद भी कब्जे की जमीन पर निगम व पुलिस की देखरेख में अवैध छत डाल दी गयी।

- गिरिधारी मंदिर मामले में लगातार हो रही एक तरफ़ा कार्यवाही। राजस्थान के शासन-प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नहीं है परवाह?
- आखिरकार किराए पर ली गयी अवैध कब्जे की ज़मीन पर निगम व पुलिस की सुरक्षा में डाल दी गई अवैध छत!

- सुप्रीम कोर्ट में खुद को किरायेदार स्वीकारने वाला रामकिशोर मीणा नगर निगम हवामहल से फ़र्जी पट्टा बनवाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ा रहा धज्जियाँ!



रामकिशोर मीणा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर शासन-प्रशासन पर पुत्र रामप्रसाद मीणा की मौत का प्रेशर बनाकर आखिर अवैध कब्जे पर छत डलवा ली!



यह दोहरे मापदंड क्यों?

एक तरफ़ा नगर निगम हवामहल जयपुर हैरिटेज द्वारा 250 साल पुराने हैरिटेज गिरिधारी जी मंदिर के वर्षों पुराने किरायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना व वास्तविकता को परे रखकर अवैध कब्जे पर अवैध छत डलवाकर रामकिशोर मीणा किरायेदार व अतिक्रमी का निर्माण कार्य निगम व पुलिस की देखरेख में सरकार के आदेशों पर हवामहल नगर निगम करवा रहा है?

कोटा का परकोटा बन जायेगा एक्सिडेंटल पॉइंट

यातायात होगा अवरूढ़ स्मार्ट सिटी में



कुलदीप गुप्ता कोटा (हिलव्यू समाचार)। एक तरफ़ स्मार्ट सिटी और हैरिटेज लुक के लिए करोड़ों खर्च किये जा रहे हैं और दूसरी ओर हैरिटेज का ऐतिहासिक परकोटे का संरक्षण खतरे में पड़ता जा रहा है। जहाँ कोटा के परकोटे में पुरातात्विक महत्व के कारण लाडपुरा दरवाजे का आकर्षक सौंदर्यकरण किया गया है वहीं दूसरी ओर हैरिटेज महत्व के दरवाजे के ऊपर बने अतिक्रमण को नजरंदाज किया जा रहा है। परकोटे पर अतिक्रमण कर बने मकान तो नहीं हटाए गए और बल्कि पहली बार परकोटे की गोलाई में दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ यातायात का निरंतर दबाव बना रहता है जिससे यातायात बाधित होगा। एक्सिडेंटल केस होंगे। सरकारी तंत्र को यह सब भी देख-परखने की आवश्यकता है। चुनावी साल में बेतरतीबी के निर्णय लेने की जल्दी करने की कवायद भारी भी पड़ सकती है।



सूचना एवं फोटो साधार: सुधीन्द्र गोड़, कोटा

जेडीए द्वारा पूर्व में ध्वस्त हुई अवैध कॉलोनियों पर फिर से निर्माण जारी

जेडीए जोन-12, जोन-14 पीआरएन साउथ में जेडीए की टोलरेंस नीति पर कॉलोनाइज़रों की मनमानी चरम पर

कुलदीप गुप्ता जयपुर (हिलव्यू समाचार)। जेडीए की प्रवर्तन शाखा की अवैध कॉलोनियों पर मेहरबानी का आलम देखना है तो आप जोन-14, जोन-12 व पीआरएन साउथ में देख सकते हैं जहाँ पर पूर्व में ध्वस्त कॉलोनियों, अवैध फ्लैट्स बेचना व अवैध निर्माण कार्य फिर से तेजी से शुरू हो गये हैं। इन ध्वस्त कॉलोनियों से तोड़फोड़ करने पर रेवेन्यू भी प्राप्त किया गया और जेडीए द्वारा खर्च दिखाया गया। कृषि भूमि पर बिना भू-रूपांतरण के बन रही आवासीय कॉलोनियों पर प्रवर्तन शाखा ने ध्वस्तिकरण कर एक बार तो कॉलोनाइज़रों पर शिकंजा कसा भी लेकिन अन्य ध्वस्त कॉलोनियों के ठीक विपरीत जेडीए जोन-14, जोन-12 में नतीजे रहे कि दूसरे दिन ही वापस विलाएँ बनने लगीं।



जेडीए जोन 14 में महर्षि गौतम स्कूल के पास अवैध प्लॉटिंग।

आना-जाना होता है वहाँ क्या उनको उक्त कॉलोनियों में अवैध होते निर्माण नजर नहीं आते? ■ दूसरी अवैध कॉलोनियों कल्लावाला गाँव में बिना भू-रूपांतरण के बन रही 'कल्याण वाटिका' को पूर्व में दिनांक 21 अगस्त 2022 को ध्वस्तिकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की गई थी परन्तु ऑख-मिचौली के चलते वर्तमान में यहाँ पर 30-40 विलाओं का निर्माण तीव्र गति से संचालित हो गया। ■ जेडीए के जोन 12 कालवाड़ रोड़ पर स्थित ग्राम पीथावास लालचन्दपुरा लिंक रोड़ पर बिना भू-रूपांतरण कराये 'गोविंद विहार-3' पर पूर्व में दिनांक 30 मई 2022 को ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गई लेकिन फिर वर्तमान में यहाँ अवैध विलाज का निर्माण अनवरत रूप से पुनः संचालित हो जाता है। यहाँ तक कि दंड गृह निर्माण सहकारी समिति से फ़र्जी पट्टे बाँटे जा रहे हैं। जेडीए प्रवर्तन अधिकारी को लगातार शिकायतों के बाद भी उनकी खामोशी व निष्क्रियता कई प्रश्न खड़े करती है। ■ पीआरएन साउथ में डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर में एमएसबी सुप्रीम ट्यूलिप प्लॉट न.23-24 खसरा नंबर 135 में बिल्डर संजय अग्रवाल ने 8 फ्लैट की स्वीकृति लेकर 16 अवैध फ्लैट



जेडीए जोन-12 ग्राम पीथावास, लालचन्दपुरा, लिंक रोड़ में गोविंद विहार-3 फ़र्जी कॉलोनी का निर्माण

अवैध कॉलोनियों पर जीरो टोलरेंस नीति की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जेडीए की पिफ एण्ड चूज की कार्यवाहियों से जेडीए का नहीं अपितु राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुँच रहा है। कॉलोनाइज़रों द्वारा ना तो जोनल प्लान व सेक्टर प्लान ध्यान रखा जाता ना ही भू-रूपांतरण कराया जाता है। भूमि पुनर्गठन तो जैसे अस्तित्व में ही नहीं आता। पार्क-सुविधा क्षेत्र का पालन नहीं किया जाता। फलतः न केवल अनियोजित विकास होता है अपितु खरीददार की जीवन की संविचत कमाई को भी ये अवैध निर्माणकर्ता दंग पर लगा देते हैं और ये खरीददार जीवनभर इन अवैध विलाओं और इमारतों के फ्लैट्स में समस्याओं से जूझते रहते हैं। अब सवाल यह है कि हिलव्यू समाचार में खबरें प्रकाशित होने पर, लगातार जेडीए विभाग में हिलव्यू टीम द्वारा आयुक्त, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी, ईओ, उपायुक्त, को सूचित करने, संपर्क करने पर भी उक्त कॉलोनियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है कि चारों तरफ़ फैले अतिक्रमण और अवैध निर्माण जेडीए के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नजर नहीं आ रहे?

